TRF LIMITED

दिनांकः 23 दिसंबर, 2022

सर्कुलरः डायरेक्टर व कर्मचारियों के लिए व्हिस्ल ब्लोअर (Whistle Blower) पॉलिसी

1. प्रस्तावना

क) टीआरएफ लिमिटेड ("द कम्पनी") व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्च मानकों को अपनाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अपने घटकों के मामलों के संचालन में विश्वास करती है। इसके साथ ही कंपनी ने टाटा कोड ऑफ कंडक्ट (''संहिता'') को अपनाया है, जो कंपनी व उसके कर्मचारियों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को पूरा करता है। संहिता का कोई भी वास्तविक या संभावित उल्लंघन, चाहे कितना भी कम हो महत्वपूर्ण या कथित क्यों ना हो, यह कंपनी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होगा। कोड के ऐसे उल्लंघन को इंगित करने में कर्मचारी की भूमिका को कम नही माना जा सकता है। कोड के तहत प्रावधान है जिसमें कर्मचारी को उल्लंघन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कहा गया हैः

''हम अपने कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और दूसरे हितधारकों को हमारे आचार संहिता, नीतियों या किसी भी कानून के वास्तविक या संभावित उल्लघन होने की स्थिति में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम किसी ऐसे (वास्तविक या संभावित) दुराचार की घटना को भी रिपोर्ट करने के लिए बढावा देते है, जो हमारे नीतियों और सिद्धांतों के अनुकुल ना हो।"

अपनी शिकायत या चिन्ताओं को रिपोर्ट करने या अपने नीतिगत सवालों की जानकारी के लिए निम्नलिखित रास्ते हैः

- अपना रिपोर्टिंग मैनेजर या कम्पनी का मानव संसाधन विभाग,
- कम्पनी के नामित एथिक्स अधिकारीगण.
- 'गुप्त सूचना' के लिए स्थापित थर्ड पार्टी हेल्प लाईन,
- हमारी कम्पनी के 'व्हीस्ल ब्लोअर' पॉलिसी में वर्णित सूचना देने का कोई और माध्यम।

कंपनी शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उसे धमकी देने का कोई भी प्रयास ''संहिता'' के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (9), के अर्तगत डायरेक्टर और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंता को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों के लिए एक निगरानी तंत्र का गठन अनिवार्य किया गया है–

- सभी लिस्टेड कंपनी;
- सभी अन्य कंपनी जो जनता से डिपोजिट्स स्वीकार करती है।
- हर कंपनी जो बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से 50 करोड़ से अधिक उधार लेती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता के उत्तरदायित्वों एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, जिसमें अन्य सभी चाजों के साथ–साथ, सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा निदेशक और कर्मचारियों के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हैं ताकि अनैतिक व्यवहार, वास्तविक

या संदिग्ध, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या एथिक्स पॉलिसी के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट की जा सके।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी की आवश्यकता है ताकि कर्मचारियों को अप्रकाशित मूल्य जैसी संवेदनशील जानकारी को उजागर करने की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके।

ग) तदनुसार, इस व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (''पॉलिसी'') को कंपनी के निदेशक और कर्मचारियों के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे कंपनी के चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास पहुँचा जा सकता है।

2. परिभाषा

इस नीति में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है। यहां जिन कैपीटलाइज्ड शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ कोड के तहत दिया गया हैं।

क) "एथिक्स कमेटी" जिसका मतलब है कि समय समय पर कंपनी द्वारा एथिक्स कमिटी गठित कि गई हैं जिसमें सीनियर मैनैजमेंट और चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस शामिल रहते हैं।

ख) "ऑडिट कमिटी" इसका मतलब कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 177 के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गठित ऑडिट कमिटी है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमन 18 (सूचीबद्धता के उत्तरदायित्वों एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) के विनियम 2015 के साथ पठित है।

ग) चीफ एथिक्स काउसलर एंड विजिलेंस का अर्थ हैं कंपनी के मुख्य एथिक्स काउसलर एंड विजिलेंस रुप मे नामित कर्मचारी ।

घ) "कोड" इसका मतलब टाटा आचार संहिता से है।

ड0) "परिणाम प्रबंधन ढांचा" इसका मतलब है समय–समय पर ऑडिट कमिटी द्वारा अनुमोदित कोड के किसी भी वास्तविक या संभावित उल्लंघन के लिए उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए परिणाम प्रबंधन ढाँचा।

च) "डायरेक्टर" इसका मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है।

छ) "कर्मचारी" इसका मतलब कम्पनी के सभी कर्मचारी (चाहें वह भारत में काम करें या फिर विदेश में) जिसमें कंपनी में कार्यरत निदेशक शामिल हैं।

ज) "जांचकर्ताओं" इसका मतलब उन व्यक्ति से है, जिन्हें चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन द्वारा अधिकृत, नियुक्त, परामर्श या संपर्क किया गया है। इसमें पुलिस व कंपनी के अंकेक्षक शामिल हैं।

झ) "संरक्षित प्रकटीकरण" इसका अर्थ है कोई भी सूचना जो नेक–नियत से प्रदान किया गया है और जो ऐसी सुचनाओं का खुलासा करता है या प्रदर्शित करता हैं जो अनैतिक या अनुचित गतिविधि हो सकती है।

ञ) "विषय" इसका मतलब है वह व्यक्ति जिसके खिलाफ या जिसके संबंध में संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या जाँच के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए हैं।

ट) ''अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी'' को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 2(1)(n), (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए टाटा आचार संहिता और कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर के कोड के तहत परिभाषित किया गया है।

ठ) "व्हिसल व्लोअर" इसका मतलब है निदेशक या कर्मचारी जो इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण कर रहे हों।

3. दायरा

क) यह नीति टाटा आचार संहिता का एक विस्तार है। व्हिसलब्लोअर की भूमिका एक रिपोर्टिंग पार्टी की तरह है जो वास्तविक समस्या की विश्वसनीय जानकारी से संबंधित है जिसमें अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उजागर होने जैसे उदाहरण शामिल हैं। उन्हें न तो जांचकर्ताओं या तथ्यों के खोजकर्ताओं के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है, न ही वे उचित सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई (यों) को निर्धारित करेंगे जो किसी भी मामले में जरूरी हो सकते हैं।

ख) व्हिसलब्लोअर्स को न तो किसी भी खोजी गतिविधियों के संचालन का कार्य खुद ही नहीं करना चाहिए, और न ही उन्हें किसी भी जांच गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस या ऑडिट कमिटी के चेयरमैन या जांचकर्ताओं के द्वारा अनुरोध न किया गया हो।

ग) संरक्षित प्रकटीकरण का उचित निपटारा मुख्य रूप से चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस या ऑडिट कमिटी के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

4. पात्रता

क) कंपनी के सभी निदेशक और कर्मचारी इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए योग्य हैं। संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी या किसी अन्य टाटा कंपनी से संबंधित मामलों के संबंध में हो सकता है।

ख) कंपनी के सभी कर्मचारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के खुलासे के किसी भी उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए योग्य हैं।

5. अयोग्यताएं

क) हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असली व्हिसल ब्लोअर्स किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार से पूरी तरह सुरक्षित हैं, इस सुरक्षा के किसी भी दुरुपयोग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ख) इस नीति के तहत संरक्षण का अर्थ किसी व्हिसलब्लोअर द्वारा लगाए गए झूठे या संगीन आरोपों से उत्पन्न होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा नहीं होगा, यह जानते हुए कि यह गलत या फर्जी है, या एक गलत इरादे से किया गया है।

ग) यदि व्हिसल ब्लोअर्स, तीन या उससे अधिक ऐसे संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो बाद में गलत, तुच्छ, आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण, या नेक नियति के अलावा अन्य प्रकार की सूचना है, तो उन्हें इस नीति के तहत आगे संरक्षित प्रकटीकरण को रिपोर्ट करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे व्हिसल ब्लोअर के संबंध में, ऑडिट कमिटी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने/ अनुशंसा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगी, जिसमें फटकार लगाना भी शामिल हो सकता है।

6. प्रक्रिया

क) वित्तीय/ लेखा मामलों से संबंधित सभी संरक्षित प्रकटीकरणों को जांच के लिए कंपनी की ऑडिट कमिटी के चेयरमैन को संबोधित किया जाना चाहिए।

ख) अन्य सभी संरक्षित प्रकटीकरणों के संबंध में, जो चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस और वाइस प्रेजिडेंट या उच्च स्तर के स्तर के कर्मचारियों से संबंधित हो, उन्हें कंपनी के ऑडिट कमिटी के चेयरमैन को संबोधित किया जाना चाहिए और अन्य कर्मचारियों से संबंधित मामलों को कंपनी के चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को संबोधित किया जाना चाहिए।

ग) ऑडिट कमिटी के चेयरमैन और कंपनी के चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं:

श्री कृष्णावा सत्याकी दत्त
चेयरमैन, ऑडिट कमिटी
बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, टीआरएफ लिमिटेड
ई–मेल: krishnava.dutt@argus-p.com

श्री इंद्रनील सरकार
चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस
टीआरएफ लिमिटेड, 11–स्टेशन रोड, बर्मामाइंस, जमशेदपुर–831001
ई–मेल: ethics.counsellor@trf.co.in और indraneel.sarkar@trf.co.in

घ) यदि कोई संरक्षित प्रकटीकरण ऑडिट कमेटी के चेयरमैन या चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस के अलावा कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक/कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है, उसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए कंपनी के चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस या फिर ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास आगे बढाना चाहिए। व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। निदेशक और कर्मचारी को चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को वास्तविक चिंता के सभी मामलों को सीधे रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ड़0) संरक्षित प्रकटीकरण को प्राथमिक रुप से लिखित रूप में ही सूचित किया जाना चाहिए ताकि उठाए गए मुद्दों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित हो सके और अंग्रेजी, हिंदी या व्हिसल ब्लोअर के कार्य करने की जगह की क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट लिखावट में टाइप किया जाए या लिखा जाए।

च) संरक्षित प्रकटीकरण को एक आवरण पत्र के तहत अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमें व्हिसल ब्लोअर की पहचान का विवरण रहेगा। ऑडिट कमेटी के चेयरमैन/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस, जैसा कि मामला हो सकता है, के द्वारा कवरिंग पत्र को अलग कर जाँचकर्ता को जांच के लिए केवल

संरक्षित प्रकटीकरण का ब्योरा दिया जाता हैं।

छ) संरक्षित प्रकटीकरण को तथ्यात्मक होना चाहिए ना कि काल्पनिक या निष्कर्ष की प्रकृति में होना चाहिए, जिसमें यथासंभव विशिष्ट जानकारी होना चाहिए, ताकि प्रारभिंक जाँच प्रक्रिया की तात्कालिकता एवं मामले की प्रकृति और सीमा का समुचित आकलन किया जा सके।

ज) व्हिसल ब्लोअर को इस तरह के संरक्षित प्रकटीकरण को अग्रेषित करने वाले आवरण पत्र में अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए। गोपनीय प्रकटीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे व्हिसल ब्लोअर का साक्षात्कार करना संभव नहीं होगा।

7. जाँच पडताल

क) इस नीति के अंतर्गत सूचित सभी संरक्षित प्रकटीकरण की जांच, चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ ऑडिट कमिटी के चेयरमैन द्वारा की जायेगी। सिफारिशों के साथ ऑडिट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले एथिक्स कमेटी में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अगर किसी भी मामले में ऑडिट कमिटी के किसी भी सदस्य का हितों का विरोधाभास होता है, तो उसे खुद को मामले से अलग कर लेना चाहिए और ऑडिट कमेटी के अन्य सदस्य को इस मामले का निपटारा करना चाहिए।

ख) चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/एथिक्स कमिटी/ऑडिट कमेटी का चेयरमैन अपने विवेकानुसार, जांच के उद्देश्य के लिए किसी भी जांचकर्ताओं को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।

ग) चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/एथिक्स कमेटी/ऑडिट कमेटी के चेयरमैन द्वारा की गई कोई भी जांच का निर्णय अपने आप में कोई आरोप नहीं है और इसे तटस्थ तथ्य पता करने की प्रकिया समझनी चाहिए। जांच का नतीजा व्हिसल ब्लोअर के इस निष्कर्ष का आवश्यक रूप से समर्थन नहीं कर सकता है कि एक अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया था।

घ) कानून और जांच की वैध आवश्यकताओं को देखते हुए अभियुक्त की पहचान संभव सीमा तक गोपनीय रखी जाएगी।

ड़0) सामान्य रूप से अभियुक्त को औपचारिक जांच के प्रारंभ में आरोपो के बारे में सूचित किया जाता है और जांच के दौरान उनके तथ्य उपलब्ध कराने के लिए अवसर दिए जाते हैं।

च) जांच के दौरान अभियुक्त पर चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ एथिक्स कमिटी/ ऑडिट कमिटी के चेयरमैन या किसी भी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का कर्तव्य होगा, इस हद तक कि इस तरह के सहयोग, लागू कानून के तहत उनके उपलब्ध आत्म–अभियोग सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।

छ) अभियुक्त को चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/जांचकर्ताओं और /या ऑडिट समिति के सदस्य और / व्हिसल ब्लोअर के अलावा किसी व्यक्ति या उसके पंसद के व्यक्ति से परामर्श करने का का अधिकार है। अभियुक्त किसी भी समय जांच की कार्यवाही में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर किसी सलाहकार को संलग्न करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ज) अभियुक्त की जिम्मेदारी है कि जांच में हस्तक्षेप न करें। सबूत को प्रभावित नहीं जायेगा, ना ही नष्ट किया जायेगा या ना ही उसके साथ छेड़छाड की जायेगी और अभियुक्त के द्वारा गवाह के उपर कोई

प्रभाव, प्रशिक्षण, डराया या धमकी नहीं दिया जाएगा।

झ) जब तक मजबूर करने के लिए कोई कारण नहीं हैं, अभियुक्त को जांच रिपोर्ट में निहित सामग्री का जवाब देने के लिए अवसर दिया जाएगा। हालांकि, अभियुक्त की जांच रिपोर्ट तक पहुंच नहीं हो सकती है। किसी अभियुक्त के खिलाफ गलत काम करने का कोई आरोप तब तक सही नहीं माना जायेगा जब तक कि आरोपों के समर्थन में अच्छा सबूत नहीं हो।

ञ) अभियुक्त को जांच के परिणाम के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो जांच के परिणाम के संबंध में अभियुक्त से सलाह से किया जायेगा कि क्या सार्वजनिक प्रकटीकरण अभियुक्त और कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा।

ट) जांच को सामान्य रूप से संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. सुरक्षा

क) इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना देने के कारण व्हिसल ब्लोअर के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, एक नीति के रूप में, किसी भी तरह के भेदभाव, उत्पीड़न, परेशानी या किसी अनुचित व्यवहार की निंदा करती है, जिसे व्हिसल ब्लोअर के खिलाफ अपनाया जा रहा है। इसलिए, किसी भी अनुचित अभ्यास के खिलाफ व्हिसल ब्लोअर को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाना चाहिए जैसे प्रतिशोध, सेवा की समाप्ति/ निलंबन की धमकी, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदावनित, स्थानांतरण, पदोन्नति के इनकार, या किसी भी तरह के अधिकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा व्हिसल ब्लोअर के प्रकटीकरण सहित अपने कर्तव्यों / कार्यों को जारी रखने के लिए बाधा पहुँचाना शामिल हैं। संरक्षित प्रकटीकरण करने के परिणामस्वरूप व्हिसल ब्लोअर को अनुभव होने वाली कठिनाईयों तो कम करने के लिए कंपनी कदम उठायेगी। इस प्रकार, यदि व्हिसलब्लोअर को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत देने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी व्हिसलब्लोअर के लिए प्रक्रिया के बारे में सलाह प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी।

ख) एक व्हिसलब्लोअर ऑडिट कमिटी के चेयरमैन को उपरोक्त खंड के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है, जो उसकी जांच करेगा और प्रबंधन को उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

ग) व्हिसलब्लोअर की पहचान कानून के तहत संभव और अनुमत सीमा तक गोपनीय रखी जाएगी। व्हिसलब्लोअर को आगाह किया जाता है कि उनकी पहचान चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस और ऑडिट कमेटी के चेयरमैन (जैसे जांचकर्ताओं द्वारा की गई जांच के दौरान) के नियंत्रण के बाहर के कारणों से पता चल सकती है।

घ) उक्त जाँच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी (कर्मचारियों) को भी व्हिसल ब्लोअर की तरह ही संरक्षित किया जाएगा।

9. जाँचकर्ता

क) जांचकर्ताओं को तथ्य की खोज और विश्लेषण की दिशा में एक प्रक्रिया का संचालन करना आवश्यक है। इस प्रकिया के तहत उनकी जांच के दायरे में कार्य करते समय जाँचकर्ता को चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस/ऑडिट कमेटी के चेयरमैन से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।

ख) तकनीकी और अन्य संसाधनों की जांच को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सभी जाँचकर्ता वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, और दोनों को वास्तव में और इस रूप में माना जाएगा। जाँचकर्ता का कर्तव्य है कि वे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, संपूर्णता, नैतिक व्यवहार, एवं कानूनी और पेशेवर मानकों का पालन करें।

ग) प्रारंभिक समीक्षा के बाद ही जांच शुरू की जाएगी, जो यह स्थापित करती है:

1. कथित कार्य एक अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण का दिखाता है, और

2. या तो जांच की जाने वाली जानकारी के आधार पर आरोपों को समर्थित किया जाता है, या ऐसे मामले जो इस मानक को पूरा नहीं करते हैं, वे प्रबंधन की समीक्षा के योग्य हो सकते हैं, लेकिन जांच को अपने आप में अनुचित या अनैतिक गतिविधि की जांच के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

10. फैसला

यदि कोई जांच या घरेलू पूछताछ के आधार पर एथिक्स कमेटी के द्वारा यह समझा जाता है कि कोई अनुपयुक्त या अनैतिक कार्य हुआ है तो वह प्रबंधन को उचित अनुशासानात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकता है। चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस, ऑडिट कमेटी के सामने ऐसे सभी मामलों को प्रस्तुत करते हैं। ऑडिट कमिटी, अपने द्वारा अनुमोदित परिणाम प्रबंधन ढांचे के अनुसार लिए गये अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करता है या अपवादात्मक मामलों में प्रबंधन को संबंधित निदेशक या कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सलाह देता है।

11.रिपोर्टिंग

चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस नियमित रूप से जांच किए गए सभी प्रकटीकरणों के बारे में ऑडिट कमिटी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अंतिम रिपोर्ट के साथ–साथ जांच के परिणामों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया गया है।

12.दस्तावेजों की रखवाली

लिखित रूप में सभी संरक्षित प्रकटीकरण या उसके बारे में जांच के परिणाम दस्तावेज के साथ कंपनी द्वारा सात वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित रखा जाएगा।

13.संशोधन

इस नीति को किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना या तो पूरे या आंशिक रूप से संशोधित करने या बदलनें का अधिकार कंपनी अपने पास रखती है। हालांकि कोई भी संशोधन या बदलाव निदेशकों और कर्मचारियों पर बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि निदेशक और कर्मचारियों को लिखित रूप में इसे सूचित न किया जाए।

TRF LIMITED

ह0/
उमेश कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक

Disclaimer :

'The original version of this Policy is in English language. This Hindi version is a mere translation for convenience only and shall not affect the interpretation of original. For all purposes including any discrepancies (if any) between the two versions, the English version shall prevail.''

अस्वीकरण :

ष्इस नीति का मूल संस्करण अंग्रेजी भाषा में है। यह हिंदी संस्करण केवल सुविधा के लिए अनुवाद है और मूल की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगा। दो संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति ;यदि कोई हैद्ध सहित सभी उद्देश्यों के लिएए अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा। ष्